Registered / Fax

E-mail

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

पत्रांक–9/CDO-311/17 - 1301(CDO) / राँची, दिनांक 06-12-17 ।

प्रेषक,

तनवीर अख्तर,
मुख्य अभियन्ता (सी०डी०ओ०),
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड, राँची।

सेवा में,

Sri Prabir Purkayastha,
Executive Director,
M/s Development Consultants Pvt Ltd.,
Block DG-4, Sector II, Salt Lake City,
Kolkata - 700091, Ph : +913340125000
Email : dcl@in.dclgroup.com, manabendra_mr@in.dclgroup.com,
ppurkayastha@in.dclgroup.com, bsengupta@in.dclgroup.com

विषयः– NNP / Others अन्तर्गत ग्रामीण जलापूर्ति योजना का PFR / DPR जमा नहीं करने के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– कार्यादेश संख्या–865(CDO) / 866(CDO) / 867(CDO) / 868(CDO), दिनांक–07.08.17, पत्रांक–1216(CDO), दिनांक–16.11.17 एवं पत्रांक–1244(CDO), दिनांक–24.11.17 ।

महाशय,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग के आलोक में सूचित करना है कि World Bank संपोषित NNP अन्तर्गत निम्नलिखित विवरणी के अनुसार कुल 4 पैकेज में 37 अदद ग्रामीण जलापूर्ति योजना के DPR निर्माण का कार्य आवंटित किया गया था जिसके Final DPR जमा करने की अवधि चार माह निर्धारित है।

ज्ञातव्य है कि यह World Bank संपोषित एक महत्वकांक्षी योजना है, जिसे समय–समय पर भारत सरकार तथा विश्व बैंक टीम द्वारा Review भी किया जाता है। परन्तु अत्यंत खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आज तक एक भी PFR / DPR उचित माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। यह आपके कार्य के प्रति उदासीनता एवं अक्षमता को दर्शाता है।

क्र. सं.	कार्यादेश संख्या	प्रमण्डल का नाम	कुल योजना	Final DPR जमा करने की अवधि
1	865(CDO) / 07.08.17	दुमका–1 एवं 2	10 योजना	कुल अवधि चार माह
2	866(CDO) / 07.08.17	सरायकेला	9 योजना	–वही–
3	867(CDO) / 07.08.17	गढ़वा	11 योजना	–वही–
4	868(CDO) / 07.08.17	जमशेदपुर	7 योजना	–वही–

दिनांक–24.11.17 को समीक्षात्मक बैठक में भी आपके प्रतिनिधि द्वारा प्रगति पर संतोषजनक जानकारी नहीं देने के फलस्वरूप पुनः दिनांक–04.12.17 को विशेष बैठक के लिए आपको आमंत्रित किया गया।

दिनांक–04.12.17 को भी अभियन्ता प्रमुख की अध्यक्षता में आपके प्रतिनिधि श्री अनुपम भट्टाचार्जी के साथ प्रगति पर आयोजित बैठक में संतोषजनक समयबद्ध प्रगति के बारे में जानकारी नहीं देने के कारण अभियन्ता प्रमुख द्वारा काफी अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

ok

कृ०पृ०उ०

Rajesh I 269 #I 11

अतः निर्देशानुसार तत्काल प्रभाव से आमंत्रित की जाने वाली किसी भी RFP में भाग लेने से आपको प्रतिबंधित (Debar) किया जाता है। साथ ही चेतावनी के साथ सूचित किया जाता है कि अगले पन्द्रह दिनों के अन्दर उक्त सभी 37 योजनाओं (NNP अन्तर्गत) का PFR / DPR उचित माध्यम से कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा विभाग कठोर कार्रवाई के लिए बाध्य होगी, जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

विश्वासभाजन

5/12/17

(तनवीर अख्तर)

मुख्य अभियन्ता (सी०डी०ओ०)।

ज्ञापांक–9/CDO-311/17 - 1301(CDO) / राँची, दिनांक 06-12-17।

प्रतिलिपि :– श्री दिनेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव–सह–निदेशक, ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची। को सूचनार्थ एवं अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/12/17

(तनवीर अख्तर)

मुख्यअभियन्ता, सी०डी०ओ०।

ज्ञापांक–9/CDO-311/17 - 1301(CDO) / राँची, दिनांक 06-12-17।

प्रतिलिपि :– अभियन्ता प्रमुख, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं अग्रतर कार्रवाई हेतु समर्पित।

5/12/17

(तनवीर अख्तर)

मुख्यअभियन्ता, सी०डी०ओ०।